

नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल), सैक्टर-5, नौएडा

पत्रांक : नौएडा/मु.अ.(जल)/2017/1340

PEJal-(R)

दिनांक : 15/09/2017

कार्यालय आदेश

नौएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक सैक्टरों में स्थित औद्योगिक भूखण्डों में जल/सीवर के संयोजन हेतु न्यूनतम निर्धारित समयबद्ध सीमा में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये -

1. 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में संयोजन का कार्य उपभोक्ताओं द्वारा संयोजन हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक अभिलेख जमा कर लेबर व मटेरियल की लागत को छोड़ते हुए देय धनराशि के भुगतान करने के उपरान्त जल/सीवर के संयोजन का कार्य 7 दिन में पूर्ण कर दिया जाये। संयोजन का कार्य उपभोक्ता द्वारा लेबर व मटेरियल सहित स्वयं कराया जायेगा।
2. 1000 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों में जल/सीवर संयोजन का कार्य उपभोक्ताओं द्वारा संयोजन हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक अभिलेख जमा कर देय धनराशि के भुगतान करने एवं कार्य कराने हेतु निविदा प्रक्रिया के पश्चात अनुबन्ध गठन के उपरान्त कार्य 1 माह में पूर्ण कर दिया जाये। संयोजन का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा।

(एच.एस. यादव)

मुख्य अभियन्ता (जल)
नौएडा

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफिसर को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर.के.एम.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता (जल) को सूचनार्थ।
4. परियोजना अभियन्ता, जल खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/जल-राजस्व को अनुपालनार्थ।

मुख्य अभियन्ता (जल)
नौएडा

15/9/17

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

नोएडा

पत्र संख्या नोएडा/मु.वा.नि./071/1199

दिनांक

3/9/07


कार्यालय आदेश

कृपया 1000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक एवं संस्थागत भूखण्डों के मानचित्रों की स्वतः स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिचालन पद्धति के माध्यम से संचालक मण्डल के सदस्यों को प्राधिकरण के अर्द्ध शा.पत्र संख्या नोएडा/अ.मु.का.अ./2007/489 दिनांक 8.8.07 के द्वारा प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति सदस्यों से प्राप्त हुई है के क्रम में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों के साथ लागू की जाती है।

1. प्रस्तावित भूखण्ड राक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित लेआउट प्लान के अन्तर्गत स्थित होना चाहिए।
2. नवन मानावली पर काउन्सिल आफ आर्कीटेक्ट्स में पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा भूखण्ड के स्वामित्व, स्थल पर काउन्सिलिंग न होने तथा भवन का अभिकल्पन नोएडा की प्रचलित भवन उप विधि एवं निर्देशों के अनुसंधान सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए।
3. प्रस्तावित निर्माण संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्परोधी व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं अन्य संकटमय दृष्टिकोण से सुरक्षित होना चाहिए तथा उक्त के सम्बन्ध में समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र के साथ संलग्न होने चाहिए।
4. निर्मित भवन पर इकाई/संस्था का संचालन नोएडा से नियमानुसार 'कम्प्लीशन-सर्टिफिकेट' प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुमन्थ होना चाहिए।

भवन विनियमावली एवं निर्देश 2006 में वर्णित प्रपत्रों व शुल्क आदि की जाँच के उपरान्त स्वीकृति हेतु प्राप्त आवंटन डीमंड सैंक्शन माने जायेंगे। इस कार्य हेतु नियोजन एवं वास्तुकला विभाग के तकनीकी स्टाफ संस्थागत कक्षा पर उपस्थित रहेंगे व प्राप्त मानचित्रों की पावती रसीद भी देंगे, यदि जमा किये गये मानचित्र व प्रपत्रों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हैं। जो आवंटनी को उसी समय मानचित्र स्वीकृत मानते हुए वापस दे दिया जायेगा और दो प्रतियाँ विभाग में सुरक्षित रखी जायेंगी। यदि किसी प्रमाणित वास्तुविद द्वारा तथ्या का छिपाया जाता है अथवा गलत सूचना दी जाती है तो प्रमाणित वास्तुविद के विरुद्ध भवन विनियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

उक्त आदेशों के अनुपालन में औद्योगिक एवं संस्थागत के 1000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के लिए स्वतः स्वीकृति व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये।



(चेलविन्दर कुमार)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्राप्तिलिपि

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी(वाई) को सूचनार्थ।
3. मुख्य वास्तुविद नियोजक को सूचनार्थ।
4. उप सचिव को सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIPP RECOMM. NO. - 102
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण


भवन प्रकोष्ठ एवं वास्तुकला व नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जि. गौतमबुद्ध नगर

पत्र सं० नौएडा/मु०वा०नि०/2017/1474
दिनांक 13/9/17

कार्यालय आदेश


Ease of doing business के अन्तर्गत DIPP Recommendation no 102 में उल्लेख किया गया है कि 'Mandate online submission of inspection report within 48 hours to the Department' कार्यहित में सभी नियोजन सहायक/ड्राफ्टमेन को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों के स्वीकृति/अधिभोग हेतु प्राप्त आवेदनो के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या 48 घंटे में मेनेजर सिस्टम श्रीमती शोभा से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित वेब साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश समक्ष स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।


मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(ए०के०आर०) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमती शोभा, मेनेजर सिस्टम को उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वास्तुविद/सहयुक्त वास्तुविद/सहयुक्त नगर नियोजक एवं सम्बन्धित नियोजन सहायक/ड्राफ्टमेन को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।


मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ एवं वास्तुकला व नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जि. गौतमबुद्ध नगर

पत्र सं० नौएडा/मु०वा०नि०/2017/158


दिनांक 28/9/17

कार्यालय आदेश

EASE OF DOING BUSINESS के DIPP Recommendation No. 231 के अन्तर्गत निजी वास्तुविदों को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत करने की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मानचित्र स्वीकृति तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में Total transparency के अन्तर्गत जन सुविधा हेतु निजी वास्तुविद को अधिभोग प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने हेतु अधिकृत करना उचित प्रतीत होता है किन्तु नौएडा प्राधिकरण के गठन के वर्ष, 1976 से वर्तमान तक सभी श्रेणी यथा आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक, ग्रुप हाऊसिंग भूखण्डों के अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने से सम्बन्धित कोई भी ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, जिसने स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण किया हो। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के उपरांत प्राधिकरण द्वारा कम्पाउण्डिंग शुल्क की गणना कर आबंटी को सूचित किया जाता है। कम्पाउण्डिंग शुल्क तथा अन्य विभागों से जारी आवश्यक अनापत्ति पत्र यथा - अग्निशमन, प्रदूषण, पर्यावरण अनापत्ति पत्र इत्यादि जमा करने के उपरांत ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया विद्यमान है, इस प्रकार के प्रकरणों में अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निजी वास्तुविद को अधिकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कम्पाउण्डिंग शुल्क की सभी प्राधिकरण के खाते में जमा कराने की Monitoring किया जाना आवश्यक है अन्यथा वित्तीय अनियमितता की सम्भावना बनी रहेगी।

समिति द्वारा उपरोक्त परिपेक्ष्य में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरांत अभिमत व्यक्त किया गया कि जिन प्रकरणों में आबंटी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण किया है एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत साइट पर किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया गया है, उन्हीं प्रकरणों में Council of Architecture से पंजीकृत निजी वास्तुविद को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया जाना औचित्यपूर्ण होगा, यदि निजी वास्तुविद द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विपरीत किये गये निर्माण का अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो नौएडा भवन विनियमावली में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार निजी वास्तुविद विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें Council of Architecture से पंजीकरण को काली सूची (black list) में सम्मिलित करना भी सम्मिलित है।

आवासीय (एकल भूखण्ड) तथा औद्योगिक भूखण्डों का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण होने की दशा में Council of Architecture से पंजीकृत निजी वास्तुविद द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तत्काल प्रभाव से अधिकृत किया जाता है।


मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए०के० आर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वित्त नियंत्रक एवं मुख्य विधि सलाहकार को सूचनाार्थ।
3. मुख्य वास्तुविद नियोजक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विशेष कार्याधिकारी (औद्योगिक) / तहसीलदार (आ०भू०) को सूचनाार्थ।